

दिनांक 22.07.2017 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

परिस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता प्रखण्ड समन्वयक, PMU एवं PMAY-G सहायकों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

### प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

गत बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जियो टैग, स्वीकृति, प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की समीक्षा की गई थी। समीक्षोपरांत निर्देश दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 की योजनाओं में जियो टैग, स्वीकृति, प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त के बीच गैप नहीं होना चाहिए। इसे 100 प्रतिशत पुरा करना है; परन्तु किसी भी प्रखण्ड के द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। इस पर रोष व्यक्त करते हुए आगामी बैठक के पहले 100% जियो टैग, स्वीकृति, प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त पूरा करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिरनी, गावाँ एवं सरिया प्रखण्ड के कार्यवाहक सहायक बैठक से अनुपस्थित थे। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त सहायकों पर स्पष्टीकरण करते हुए एक दिन का वेतन काटना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण संतोषप्रद होने की स्थिति में ही उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा तीनों सहायकों का वेतन भुगतान का आदेश निर्गत किया जायेगा। साथ ही वर्ष 2017-18 की योजनाओं का 100% Geo Tag करना सुनिश्चित करें।

सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि आगामी मंगलवार तक प्रधानमंत्री आवास योजना, ईदिरा आवास योजना एवं भीम राव अम्बेदकर आवास योजना के लाभुकों के लिए शौचालय स्वीकृत कराये तथा इसका प्रतिवेदन अभिकरण कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। हर हाल में अगले सप्ताह तक शौचालय में कार्य प्रारंभ हो जानी चाहिए। इस पर सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवास योजनाओं में शौचालय की स्वीकृति करा ली गयी है। एक-दो दिन में कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। प्रखण्डवार शौचालय स्वीकृति विवरणी इस प्रकार है :-

क्र०सं०	प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत शौचालय की संख्या
1	गिरिडीह	893
2	बेंगाबाद	ODF
3	गाण्डेय	917
4	पीरटांड	1539
5	डुमरी	784
6	बगोदर	376

7	सरिया	198
8	धनवार	340
9	बिरनी	653
10	देवरी	895
11	जमुआ	728
12	तिसरी	668
13	गावाँ	ODF

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से एक रोस्टर बनायेंगे और जनसेवक तथा प्रखण्ड समन्वयक आवासों का निरीक्षण करेंगे। रोस्टर हर-हाल में मंगलवार तक अभिकरण कार्यालय को समर्पित करेंगे।

विगत बैठकों में सभी प्रखण्डों से SECC Data में छूटे हुए लाभुकों की सूची की माँग की गयी थी परन्तु गावाँ प्रखण्ड द्वारा अब तक सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस पर प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास के संचिका प्रभारी श्री छोटन प्रायः कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। इस पर आदेश दिया गया कि अगले आदेश तक श्री छोटन का वेतन स्थगित रखा जाता है। साथ ही SECC Data में छूटे लाभुकों की सूची आगामी मंगलवार तक समर्पित करना सुनिश्चित करें।

विगत बैठकों में सभी प्रखण्डों को प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत अयोग्य लाभुकों को Block करने की सूची की माँग की गयी थी परन्तु बेंगाबाद, बिरनी, धनवार एवं गावाँ प्रखण्ड से सूची अप्राप्त है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कारण पृच्छा करते हुए आगामी मंगलवार तक सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

विगत बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची मोबाईल नं० के साथ की माँग की गयी थी परन्तु अब तक बेंगाबाद, पीरटांड, बगोदर, धनवार एवं गावाँ प्रखण्डों के द्वारा सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस पर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कारण पृच्छा करते हुए निदेश दिया गया कि अगर मंगलवार तक सूची उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो संबंधित प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G की संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

आवास योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक टॉल फ्री नम्बर स्थापित किया जा रहा है जिसमें आवास योजना से संबंधित शिकायत दर्ज एवं शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। प्रखण्ड समन्वयक, पी.एम.ए.वाई.-जी. प्रतिदिन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और दैनिक निरीक्षण प्रतिवेदन अभिकरण कार्यालय को प्रतिदिन संध्या के 05:00 बजे तक समर्पित करेंगे।

### मनरेगा

गत बैठक में मनरेगा के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया था कि बगोदर, देवरी, धनवार, डुमरी, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड, सरिया एवं तिसरी प्रखण्डों में प्रति ग्राम पंचायत 100 दिन का मानव दिवस का सृजन नहीं हो पा रहा है। बरसात को ध्यान में रखते हुए नाडेप, वर्मीकम्पोस्ट, पशु शेड, वृक्षारोपण, समतलीकरण, स्कूल के मैदान का

समतलीकरण, 30x40 Module, मेढबंदी आदि योजना को ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करें। एस.एच.जी. लाभुकों के लिए ज्यादा-से-ज्यादा योजना स्वीकृत कराएँ। खासकर एस.एच.जी. के महिला मेट को 100 प्रतिशत कार्य दें। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि अगले सप्ताह तक सभी पंचायतों में 25-25 नाडेप की योजना स्वीकृत करा कर 15 दिनों के अंदर योजना पूर्ण कराएँ। आगामी सोमवार तक MIS में नाडेप एवं वर्मी कम्पोस्ट योजना दिखनी चाहिए। लगातार यह चक बरकरार रखें। 60:40 अनुपात का अनुपालन करने के लिए प्रति पंचायत में 4 से 5 योजना का चयन समतलीकरण, मेढ बंदी एवं Trench Cutting के रूप में करें। इस पर सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि योजनाओं का चयन विशेष ग्राम सभा के द्वारा कर लिया गया है। सिर्फ पंचायत कार्यकारणी में इसे पारित कराना बाकी है। एक-दो दिन के अन्दर पंचायत कार्यकारणी से योजना पारित कराकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी और कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। इस पर निदेश दिया गया कि दिनांक 27.07.17 तक निश्चित रूप से सभी योजना की स्वीकृति करा लें। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड- बगोदर, देवरी, धनवार, डुमरी, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड, सरिया एवं तिसरी प्रखण्डों में 100 दिन का मानव दिवस लगातार सृजित नहीं हो रहा है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में जिस भी किसी प्रखण्ड का मानव दिवस 100 दिन से कम रहा तो संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी की संविदा उसी दिन समाप्त कर दी जायेगी।

#### जियो टैगिंग

जियो टैगिंग के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Complete work एवं जियो टैग के बीच बगोदर, बेंगाबाद, डुमरी, गावाँ, जमुआ, सरिया एवं तिसरी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि Complete work एवं जियो टैग के बीच जो अंतर है उसे दो-से-तीन दिनों के अंदर दूर करें। जितना Asstets ID Create हुआ है उतना जियो टैग कराना सुनिश्चित करें।

#### Scheme pending

Scheme pending की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की सभी योजना को एम0आई0एस0 में बन्द करें। आगामी बैठक के पूर्व 100 प्रतिशत एम0आई0एस0 में बन्द करना सुनिश्चित करें।

#### डोभा निर्माण

डोभा निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुले 8799 डोभा पूर्ण है परंतु 6478 का ही MIS दिख रहा है। योजना के Physical Completion एवं MIS के बीच बेंगाबाद, बिरनी, देवरी, धनवार, गाण्डेय, गावाँ, जमुआ, पीरटाँड़, सरिया प्रखण्डों में गैप ज्यादा है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए आगामी बैठक तक गैप को दूर करने का निर्देश दिया गया है। 6' एवं 8' के डोभा को जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही 2' एवं 4' के डोभा की संख्या को यथाशीघ्र शून्य करें।

#### आँगवाड़ी भवन निर्माण योजना

आँगवाड़ी भवन निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी प्रखण्ड द्वारा सप्ताहिक लक्ष्य को पुरा नहीं किया गया। Physical Completion एवं MIS के

बीच बेंगाबाद, देवरी, धनवार, डुमरी, जमुआ, गावों, गिरिडीह प्रखण्डों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि जितना Physical Completion हुआ है वो ऑकड़ा MIS में दिखनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में Achievement Zero नहीं होनी चाहिए। 638 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में Roof Casting तक कार्य पूर्ण है उसका 25% आगामी बैठक तक हर हाल में पूर्ण होनी चाहिए। आज के तारीख में जितना दिख रहा है उसमें कम से कम अगले बैठक तक पूर्ण हो जानी चाहिए। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जितने आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में डीपीसी से उपर कार्य हुआ है मनरेगा सॉफ्ट में नहीं दिख रहा है। आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में डिमांड नहीं काटा गया है जिस कारण एमआईएस में नहीं दिख रहा है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि अगले दो दिनों में डिमांड एमआईएस में दिखनी चाहिए। अन्यथा संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी कार्रवाई के लिये तैयार रहें।

### SECC Data Mapping

SECC Data Mapping के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड बिरनी, पीरटांड एवं डुमरी को छोड़कर अन्य किसी प्रखण्डों की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तक जिला स्तर पर मात्र 52 प्रतिशत ही मैपिंग किया गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को 100 प्रतिशत Mapped करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि ऐसे लाभुक जो भूमिहीन हैं उनको जॉब कार्ड उपलब्ध कराते हुए मनरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें। पिछले बैठक में 100 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया है परन्तु लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और न ही कोई सुधार हुआ। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को अंतिम चेतावनी दी गयी। अन्यथा वे कार्रवाई के लिये तैयार रहे।

### Job Card Verification

Job Card Verification के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी प्रखण्ड की स्थिति अच्छी नहीं है। गत बैठक में चेतावनी के साथ 100 प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था परन्तु फिर भी आज के एमआईएस में 83.52 ही परिलक्षित हो रहा है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को एक मौका और दिया गया और शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।

### Delayed Payment

Delayed Payment के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेंगाबाद, धनवार, देवरी, गाण्डेय, डुमरी, गावों एवं तिसरी की स्थिति अच्छी नहीं है। इन प्रखण्डों में 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में Delayed Payment का ऑकड़ा 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि पूर्व में दिये गये आदेशों का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। प्रखण्ड नजारत में अब तक वसूल कर जमा की गई राशि का ब्यौरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 07 दिनों में जमा करेंगे। प्रत्येक Delay Payment के लिए योजनावार निम्न प्रकार से Fine impose किए जाएंगे -


कम्प्यूटर ऑपरेटर - 100/-


ग्राम रोजगार सेवक - 100/-

बैठक में जिस-जिस प्रखण्डों से कनीय अभियंता अनुपस्थित पाये गये उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश दिया जाता है।

सी.एफ.टी. बेंगाबाद एवं पीरटांड को बैठक में उपस्थित रहने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु सी.एफ.टी. बेंगाबाद अनुपस्थित पाये गये। इस पर कारण पृच्छा करते हुए निदेश दिया गया कि यदि कारण पृच्छा संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा।


अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


  
15/7/17  
परियोजना पदाधिकारी,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1972 /अभि0, गिरिडीह, दिनांक 25 जुलाई, 2017

- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांठित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- ✓ प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपयुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
15/7/17  
परियोजना पदाधिकारी,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।